न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/01

रामभरोस आत्मज स्व0 बजरंग लाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 10.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता स्व0 श्री बजरंग लाल आत्मज श्री गोपीलाल जाति माली को ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 690 की 01 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 03 की रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन नियम एवं विक्रय के अन्तर्गत दिनांक 12.03.63 को आवंटित की गई थी । तब से ही वादी के पिता स्व0 बजरंग लाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है उनकी मृत्यु के बाद वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि के वर्तमान सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 993 की 0.19 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 994 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 की 0.07 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर दर्ज कर उक्त भूमि को सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया । सेटलमेंट द्वारा उक्त भूमि गै0मु0 नाला दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर आज भी काश्त हो रही है । उक्त भूमि गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वादी के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है ।

3. अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि उसके खाते दर्ज करने का तथा राजस्व रिकॉर्ड से सिवायचक का नोट हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल नहीं किया जावे तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2012 के द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2013 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को बिधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेशों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.12.2018 कि द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.12.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय बजरंग लाल को विधिवत रूप से दिनांक 12.03.63 को आवंटित की गई थी और आवंटन के बाद दखल दिया गया तब से ही उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता काबिज काश्त थे और उनकी मृत्यु के बाद वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित करके गै0मु0 नाला इदर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर आज भी काश्त हो रही है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के पिता बजरंग लाल को ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 690 की 01 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 03 की रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 किता की 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी दिनांक 12.03.1963 को आवंटित की गई थी । आवंटन का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था । तब से ही इस आराजी पर अपीलान्ट के पिता स्व0 बजरंगलाल जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अपीलान्ट उक्त भूमि का खातेदार कृषक हो चुका है । सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पुराने खसरा नम्बर 690 व खसरा नम्बर 03 के नये खसरा नम्बर

705 मिन व 706 मिन दर्ज किये गये । द्वितीय सेटलमेंट में खसरा नम्बर 705 मिन व 706 मिन के नये खसरा नम्बर 993 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 995 रकबा 0.07 हैक्टर कुल 0.31 हैक्टर कायम कर उक्त भूमि की किस्म गै0मु0 नाला दर्ज की गई । जबकि इस प्रकार किस्म परिवर्तन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है । अपीलान्ट इस आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट ने अपने दावे को शहादत से साबित किया था इसके बावजूद भी दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिसकी किस्म गै0मु0 नाला है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । दावे के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श–1 पेश किया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में नदियॉ तथा नाले दर्ज है। प्रदर्श– 2 के रूप में नोटिस हैं । प्रदर्श– 3 मिलान क्षेत्रफल की प्रति है । प्रदर्श– 4 नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2060 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 993, 994 एवं 995 सरकारी आराजी है और किस्म गै0मु0 नामा दर्ज है । प्रदर्श– 5 आवंटन पत्र की फोटो प्रति है, प्रदर्श–6 लगायत 9 नोटिस की प्रतियॉ हैं । प्रदर्श– 10 मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है । प्रदर्श– 12 लगायत 16, 18 एवं 19 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के नोटिस की प्रतियॉ हैं ।

11. इसके अलावा वादी की ओर से बयान रामभरोस, श्याम सुन्दर पीडब्ल्यू–2, सुन्दरलाल पीडब्ल्यू– 3 कराए हैं ।

12. वादी अपीलान्ट द्वारा अपने पिता के पक्ष में हुए आवंटन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । अपने पक्ष के समर्थन में उनके द्वारा जो आवंटन प्रमाण पत्र पेश किया गया है वो भी फोटो प्रति है । गैर खातेदारी एवं दखलनामे की कोई प्रति भी उनके द्वारा पेश नहीं की गई है । वैसे भी आवंटन की स्थिति में गैर खातेदारी से खातेदार अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए न कि हक घोषणा का दावा । वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है और किस्म गै0मु0 नाला दर्ज है उसमें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

13. वादी अपीलान्ट का यह कथन है कि उनको साबिक खसरा नम्बर 690 की 01 बीघा 03 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 03 की रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 किता की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी । पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत सेटलमेंट में कायम किये गये खसरा नम्बर 705 मि और 706 मिन के साबिक खसरा नम्बर 709, 729 और 730 हैं और उसके उपरान्त हुए सेटलमेंट के अनुसार खसरा नम्बर 705, 706 के हाल खसरा नम्बर

993, 994 एवं 995 बने हैं । इस प्रकार वादी अपीलान्ट यह भी साबित नहीं कर पाये हैं कि हाल खसरा नम्बर 993, 994 एवं 995 उसको आवंटित आराजी से बने हैं ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/01

रामभरोस आत्मज स्व0 बजरंग लाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः **561/दावा/2009**

रामभरोस आत्मज स्व0 बजरंग लाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा
——वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.04.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा